SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OF THE CRIMINAL PRODE, 1898

ØR 264 OF PROCEDUR

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद मिण्ड

प्रकरण कमांक 52/18

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused-

 बनवारी कुशवाह पुत्र रणधीर निवासी— पुराने थाने के पास, गोहद जिला भिण्ड

2. विनोद चौहान पुत्र अमर सिंह चोहान निवासी— वार्ड क्0 9 उरबाई मोहल्ला गोहद जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 17.03.2018 को 21:00 बजे वार्ड क0 9, उरबाई मोहल्ला माता मंदिर के पीछे गोहद में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

23/3/18

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक्-

3148) 4 2-9 28 41 2-01 0072

कनवारी

lanta

प्रविद्धा अवस्था प्रविद्धा अवस्था पायिक महिल्हेट प्रथम श्रेणी

The offence proved, if any in, case under clause (# 1.) clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the

## //निर्णय//

(आज दिनांक 23.03.2018 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजिनक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी टहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत 100 / रूपएके अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को पांच पांच दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गड़ड़ी नष्ट हो। जप्तशुदा रूपये 800/-रुपये राजसात किये जाते है। अपील अविध पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

दिनांक- 23.03.2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

23/3/18 (1982) (1884) (1944) (1884) (1944) (1884) मेरे निर्देशांनुसार टंकित किया गया

PA 23/3/18

(प्रशिक्षण्डाकारका जाएमक्षकित्रका श्रेक गोरक जिला- भिण्ड (स व